संख्या- 411/2026/967/41-1-2026-001-सीएन-1675616-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज, सुल्तानपुर रोड, ग्राम-रहमतनगर में निर्मित शिव मंदिर के पर्यटन विकास कार्य की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-499349/6-1-1(रा०यो०/यू०सी०)/2025-26,दिनांक 11मार्च, 2026का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से क्रमांक-39 पर अंकित प्रश्नगत परियोजना हेतु सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-212/2023/आई/289822/001-41-1002-001-155-2022-154-Budget-2022, दिनांक 20 मार्च, 2023 द्वारा धनराशि रू0 268.73 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में 50.00 लाख, शासनादेश सं0-742/2023/4164/41-2023/154(बजट)/2022, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 द्वारा धनराशि रू0 387.14 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, शासनादेश सं0-879/5381/41-2023/154(बजट)/2023, दिनांक 24 नवम्बर, 2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख, शासनादेश सं0-440/901/41-2024/154(बजट)/2022, दिनांक 28 मार्च, 2024 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख, शासनादेश सं0-841/2024/2640/41-1-2024-001-CN-1675616-2022, दिनांक 30 अक्टूबर,2024 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप मेंरू0 100.00 लाख एवं शासनादेश सं0-366/2024/878/41-1-2025-002-CN-1675616-2022, दिनांक 30 मार्च, 2025 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 44.95 लाख अर्थात अब तक कुल रू0 344.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तदनुक्रम में शासनादेश सं0-1012/2025/2194/41-1-2025-CN-1675616-2022, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025द्वाराधनराशि रू0 795.88 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज, सुल्तानपुर रोड, ग्राम-रहमतनगर में निर्मित शिव मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु षष्टम किश्त के रूप में धनराशि रू0 344.80 लाख (रू052.17 लाख जी0एस0टी0 एवं रू02.25लाख लेबर की धनराशि सम्मिलित)को इस शर्त के साथ अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि अगले 15 दिन में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या और उस पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रश्नगत परियोजना हेतुअन्य शर्तें व प्रतिबन्ध निम्नवत हैं :-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग के शासनादेशदिनांक 20 मार्च, 2023, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023, दिनांक 24 नवम्बर, 2023, दिनांक 28 मार्च, 2024, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024, दिनांक 30 मार्च, 2025 एवं दिनांक 17 दिसम्बर, 2025में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया हो।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराये हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(12) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,44,80,000 (रूपये तीन करोड़ चवालीस लाख अस्सी हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 लेखा शीर्षक-5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त (ग्रेड-।), वाणिज्य कर विभाग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
7. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।